प

1.7.20 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीपक्ष उप०। हुए प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित मूल वाद पहिले डिग्री खारीज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थना पत्र इसी स्तर मूल वाद के डिग्री में खारीज हो जाने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होवे। नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.07.03 17:02:41 IST
Reason: SelfAttested